न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 09/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. ज्याना पत्नि गंगासहाय
2. सीताराम } पिसरान गंगासहाय
3. गुलाब
4. गीता
5. बदाम } पुत्रीयान गंगासहाय
6. इन्दिरा

समस्त जाति बैरवा निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

<u>रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए</u>

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण बहस के दौरान अनुपस्थित।

:–निर्णयः– दिनांकः 5.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण नियत तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित हुये परन्तु अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की ओर से ना तो कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ना ही अप्रार्थीगण बहस के दौरान उपस्थित हुये। तत्पश्चात् बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 509 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा संवत 2003 में किस्म खालसा दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2016 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 509 मिन रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा से खसरा नम्बर 71 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 71 मिन से खसरा नम्बर 317 रकबा 0.55 है. बने, जिसमे से खसरा नम्बर 317/3 रकबा 0.05 है. भूमि उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 10.06.2002 को ज्याना पत्नि गंगासहाय व पांचु पि. परसा जाति बैरवा निवासी कानपुरा को आवंटन की गई जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 10.06.2002 के द्वारा आवंटी के नाम से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। उक्त भूमि जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में ज्याना पत्नि गंगासहाय व पांचु पुत्र परसा कौम बैरवा के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार पांचु पुत्र परसा फौत हो चुका है। जिसके वारिसान ज्याना पत्नि गंगासहाय, सीताराम, गुलाब पि. गंगासहाय, गीता, बादाम, इन्दिरा पुत्रीयान गंगासहाय है। उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन तलाई की भूमि दर्ज रिकार्ड रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम कानपुरा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 509 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा संवत 2003 में किस्म खालसा दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2016 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 509 मिन रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा से खसरा नम्बर 71 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 71 मिन से खसरा नम्बर 317 रकबा 0.55 है. बने, जिसमे से खसरा नम्बर 317/3 रकबा 0.05 है. भूमि उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 10.06.2002 को ज्याना पत्नि गंगासहाय व पांचु पि. परसा जाति बैरवा निवासी कानपुरा को आवंटन की गई जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 10.06.2002 के द्वारा आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। उक्त भूमि जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 मे ज्याना पत्नि गंगासहाय, पांचु पुत्र परसा कौम बैरवा के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार पांचु पुत्र परसा फौत हो चुका है। जिसके वारिसान ज्याना पत्नि गंगासहाय, सीताराम गुलाब पि. गंगासहाय, गीता, बादाम, इन्दिरा पुत्रीयान गंगासहाय है। उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन तलाई की भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन तलाई की भूमि दर्ज रिकॉर्ड रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 05.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested